न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 45/2017

अ० वहीद पिता उ० कादर मुलतानी लुहार निवासी बिगोद बनाम (1) श्यामलाल पिता कन्हैयालाल, रतनलाल, मदनलाल पिता कन्हैयालाल (3) श्री हनुत पिता भोलाबक्स, गफार पिता उ० रज्जाक, शब्बीर पिता इस्माइल, श्यामलाल, जातमल पिता कना, गणपतराय, राधेश्याम पिता नाथू खटीक निवासी बिगोद

प्रार्थनापत्र--अन्तर्गत धारा 111—128 रा0ले0रे0ए0

— आदेश :— दिनांक— 12/05/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री उ० वहीद मुलतानी लुहार ने जरिये अभिभाषक श्री इशाकखान आजाद ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम बिगोद प0ह0 बिगोद तह0 माण्डलगढ मे आराजीन0 2470—2472— कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा किता 2 रकबा 2 बीघा बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अत:पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलगन जमाबंदी सम्वत् के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर काई विपरीत प्रभाव नही पडता है।

अत: प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम— बिगोद की आराजी न0— 2470— 2472

रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने के आदश दिये जाते है। भू—अभिलेंख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 100/- रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार, माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ